सं.1(2)/2025-समन्वय
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

मई, 2025 माह का मासिक सार

1. सीपीएसई और अन्य सरकारी संगठनों में पूंजीगत व्यय:

वर्ष 2025-26 के लिए चुनिंदा सीपीएसई (जिनका वार्षिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) लगभग 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है) और अन्य सरकारी संगठनों (अर्थात रेलवे बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दामोदर घाटी निगम) के पूंजीगत व्यय की मई, 2025 के अंत तक की जानकारी को संकलित किया गया। अप्रैल-मई, 2025 के दौरान, इन इकाइयों ने लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए **7.85** लाख करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का 13.4% है।

2. सीपीएसई का संचालन:

i. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 27 मई, 2025 को अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक आयोजित की गई।

ii. लोक उद्यम विभाग ने रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (आरसीआईएल) में बोर्ड स्तर से नीचे के 39 पदों के लिए तत्काल आमेलन के नियम से छूट दिए जाने के लिए रेलवे मंत्रालय के दिनांक 05 मई, 2025 प्रस्ताव पर अपनी सहमति भेजी ।

iii. लोक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) जिसमें निजी भागीदार शामिल है, के अतंर्गत लंबी अवधि की लीज के माध्यम से 1 मई, 2025 को नागपुर अंतरर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण किए जाने पर अपनी टिप्पणियां भेजीं।

iv. लोक उद्यम विभाग ने 2 मई, 2025 को वधावन पोर्ट परियोजना लिमिटेड के लिए पदों के सृजन के लिए डीसीएन पर अपनी टिप्पणियां भेजीं।

v. लोक उद्यम विभाग ने 5 मई, 2025 को वेयरहाउस कॉरपोरेशन अधिनियम,1962 को निरस्त करने तथा भंडारण निगम और केंद्रीय भंडारण निगम (उपक्रम का हस्तांतरण) विधेयक, 2025 की प्रस्तावना पर अपनी टिप्पणियां भेजीं।

vi. लोक उद्यम विभाग ने 7 मई, 2025 को एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा लिमिटेड और इसके अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निर्धारित सीमा से अधिक निवेश करने के लिए इस महारत्न सीपीएसई को शक्ति के प्रत्यायोजन संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों से एनटीपीसी लिमिटेड को और अधिक प्रत्यायोजन के संबंध में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के लिए मसौदा नोट पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं, ताकि एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा सके।

3. एमओयू-सीपीएसई कार्यनिष्पादन मूल्यांकन:

लेखापरीक्षित लेखाओं की उपलब्धता के बाद, वर्ष 2024-25 के लिए एमओयू-हस्ताक्षरकर्ता 90 सीपीएसई के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन शुरू होगा। इसके अतिरिक्त, 2025-26 के लिए समझौता-ज्ञापन (एमओयू) लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठकें शुरू हुई हैं, जिनका लक्ष्य है कि इन लक्ष्यों को पहली तिमाही में अंतिम रूप दे दिया जाए और यह कार्य प्रगति पर है। मई, 2025 के अंत तक 4 सीपीएसई (88 में से) के लिए एमओयू लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया गया है।

4. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)/मंत्रिमंडल नोट:

i. मई, 2025 माह के दौरान को 05 सीएमसीडीसी बैठकों में भाग लिया गया।

ii. एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के अधीन एक सीपीएसई) की एक संपत्ति और बीएसएनएल की चार संपत्तियों तथा आईटीआई लिमिटेड (दूरसंचार विभाग के अधीन सीपीएसई) की एक संपत्ति के मुद्रीकरण के संबंध में भावी राह पर चर्चा करने के लिए 15.05.2025 को अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की 02 बैठकें आयोजित की गईं।

5. सीपीएसई के बंद करने के संबंध में प्रस्ताव:

i. दिनांक 04.02.2021 की नई पीएसई नीति के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 7 सीपीएसई, अर्थात् ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईसी) और नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) को इसकी 5 सहायक कंपनियों के साथ बंद करने के संबंध में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) मसौदा नोट की अग्रिम प्रति 23.08.2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जब कभी जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा गया तो वह प्रस्तुत किया गया। लोक उद्यम विभाग ने हाल ही में अपनी दिनांक 09.09.2024 की अंतर्विभागीय टिप्पणी के माध्यम से जानकारी प्रदान की। मंत्रिमंडल सचिवालय ने दिनांक 06.02.2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया कि चूंकि नोट दिनांकित है और इसमें बदलाव होने की संभावना है, इसलिए यह अब विचाराधीन नहीं है और विभाग, यदि आवश्यक समझे, तो संशोधित/अद्यतित नोट प्रस्तुत कर सकता है। हालाँकि, मामला अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय के पास लंबित है।

ii. वाणिज्य विभाग (डीओसी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 2 सीपीएसई अर्थात् भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसी) और पीईसी लिमिटेड को बंद करने के संबंध में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) मसौदा नोट की अग्रिम प्रति 23.08.2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी गई। डीपीई ने अपनी दिनांक 04.11.2024 की अंतर्विभागीय टिप्पणी के माध्यम से अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की। इसके अलावा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी 14.05.2025 की अंतर्विभागीय टिप्पणी के माध्यम से इस विभाग से अनुरोध किया कि वह रुग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसई को बंद करने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों का प्रयोग करने की अपेक्षा आईबीसी मार्ग का उपयोग करके एसटीसी और पीईसी को बंद करने के प्रस्ताव की फिर से जांच करे। हालाँकि, मामला अभी भी मंत्रिमंडल सचिवालय में लंबित है।

6. क्षमता निर्माण:

लोक उद्यम विभाग के 90 कर्मचारियों (वाईपी/वाईए सहित) ने मई, 2025 तक आई-गॉट पोर्टल पर 3239 पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

7. एमएसई से खरीद:

सीपीएसई द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद मई, 2025 तक लगभग 54% खरीद की गई है (एमएसएमई-संबंध पोर्टल पर 58 सीपीएसई के साथ रिपोर्टिंग शुरू हुई)।

8. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति:

अद्यतन स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 210 मामले सूचित/दर्ज किए गए। वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर 51 मामलों को खारिज कर दिया गया। 51 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 80 मामले सचिवों की समिति के पास निर्णयाधीन हैं। शेष 28 मामले जांच और अनुमोदन के लिए संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास लंबित हैं।

*****